झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान-सभा

दशम्-सत्र

वर्ग-01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक :- 12 अग्रहायण, 1934 (श0) / 03 दिसम्बर, 2012 (ई0) को झारखण्ड विधान सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्रमांक	विभागों को भेजी गई सं0 संख्या	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
01.	ग-07	श्रीमती सुधा चौधरी	पुलिस पिकेट स्थापित करना	गृह	26.11.12
02.	का-03	श्री कमलेश उरांव	पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति	कार्मिक	26.11.12
03.	नि-01	श्री माधव लाल सिंह	सहकारिता समिति का गठन	निबंधन	23.11.12
04.	टन-02	श्री कमल किशोर भगत	पर्यटन केन्द्र के रूप में विकसित करना	पर्यटन	23.11.12
05.	टन-06	श्री योगेन्द्र साव	पतरातू डैम का सुंदरीकरण करना	पर्यटन	26.11.12
06.	टन-01	श्री रामचन्द्र बैठा	अधूरा कार्य पूरा कराना	पर्यटन	23.11.12
07.	टन-05	श्री शशांक शेखर भोक्ता	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना	पर्यटन	26.11.12
08.	ग-03	श्री जगरनाथ महतो	पदाधिकारी पर कार्रवाई	गृह	26.11.12
09.	का-8	श्री सौरभ नारायण सिंह	श्री टोप्पो का स्थानांतरण	कार्मिक	27.11.12
10.	का-04	श्री निजामउद्दीन अंसारी	राज धनवार को अनुमंडल बनाना	कार्मिक	26.11.12

कृ0 पृ0 उ0..

01.	02.	03.	04.	05.	06.
11.	ग-01	श्री अरूण मंडल	पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति	गृह	26.11.12
12.	नि.-03	श्री संजय कु0 सिंह यादव,	निबंधक का पदास्थापन	निबंधन	26.11.12
13.	ग-08	श्री रामदास सोरेन	दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई	गृह	26.11.12
14.	नि-02	श्री जनार्दन पासवान	निबंधन कार्यालय का नये भवन में स्थानांतरण	निबंधन	26.11.12
15.	का-05	श्री दीपक बिरूवा	श्री प्रसाद के विरूद्ध कार्रवाई	कार्मिक	26.11.12
16.	ग-04	श्री शशांक शेखर भोक्ता	देवीपुर में सुरक्षा व्यवस्था कराना	गृह	26.11.12
17.	का-07	श्री चन्द्रशेखर दूबे	विश्रामपुर को अनुमंडल का दर्जा देना।	कार्मिक	26.11.12
18.	विधि-02	श्री निजामउद्दीन अंसारी	दैनिक भत्ता बढ़ाना	विधि	26.11.12
19.	ग-09	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई	गृह	26.11.12
20.	टन-08	श्रीमती सीता सोरेन	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना	पर्यटन	26.11.12
21.	का-02	श्री अरूप चटर्जी	अनुसूचित जन जाति का दर्जा देना	कार्मिक	23.11.12
22.	ग-12	श्री चन्द्रशेखर दूबे	थाना भवन का निर्माण करना	गृह	26.11.12
23.	टन-07	श्री संजय कु0 सिंह यादव	पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना	पर्यटन	26.11.12
24.	ग-02	श्री अरूण मण्डल	स्पीड बोट उपलब्ध कराना	गृह	26.11.12
25.	का-01	श्री कमल किशोर भगत	क्षेत्रीय भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करना	कार्मिक	23.11.12
26.	ग-11	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पुलिस पिकेट का निर्माण	गृह	26.11.12
27.	टन-03	श्री विनोद कुमार सिंह	रोपवे का निर्माण	पर्यटन	23.11.12
28.	टन-04	श्रीमती गीता कोड़ा	आवंटन उपलब्ध कराना	पर्यटन	26.11.12
29.	ग-05	श्री फूलचन्द मण्डल	केन्द्र की तर्ज पर अनुदान देना	गृह	26.11.12
30.	ग-06	श्री अनन्त प्रताप देव	कारा का निर्माण कार्य पूर्ण कराना	गृह	26.11.12
31.	वि-01	श्री योगेन्द्र साव	दो प्रतिशत बिक्री कर लेना	वित्त (वाणिज्यकर)	26.11.12

कृ0 पृ0 उ0 ....

1.	02.	03.	04.	05.	06.
2.	टन-09	श्री सौरभ नारायण सिंह	प्राचीन स्थलों का जीर्णोद्धार	पर्यटन	27.11.12
3.	क-06	श्री रामदास सोरेन	अनुवादक की नियुक्ति	कार्मिक	26.11.12
4.	ग-10	श्री ढुलू महतो	पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई	गृह	26.11.12

रांची,
दिनांक-03 दिसम्बर, 2012 (ई0)

समरेन्द्र कुमार पाण्डेय,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, रांची ।

ज्ञापांक-(आ0वि0स0)(प्रश्न)-03/07-3431/वि0स0, रांची, दिनांक-29 नवम्बर, 2012 ई0 ।

प्रतिलिपि :- झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मुख्यमंत्री/उप मुख्यमंत्रीगण/अन्य मंत्रीगण/मुख्य सचिव तथा महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/11/12

(नन्दलाल प्रसाद)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रांची ।

ज्ञापांक-(आ0वि0स0)(प्रश्न)-03/07-3431/वि0स0, रांची, दिनांक-29 नवम्बर, 2012 ई0 ।

प्रतिलिपि :- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय एवं उप सचिव (प्रश्न) के संयुक्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

29/11/12

(नन्दलाल प्रसाद)
अवर सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रांची ।

शंकर
===

29/11/12

(1)

श्रीमती सुधा चौधरी, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–07 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत प्रखण्ड छत्तरपुर का पंचायत कालापहार सहित आस पास का क्षेत्र सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है और उग्रवाद से प्रभावित है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि दो वर्ष तक कालापहार में पुलिस पिकेट स्थापित था जिससे क्षेत्र में उग्रवादी गतिविधिया नियंत्रित थी ;	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि दो वर्ष पूर्व उपर्युक्त पुलिस पिकेट को विभाग द्वारा हटा दिया गया ;	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कालापहार में पुनः पुलिस पिकेट स्थापित करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, यदि नही तो क्यो ?	कालापहाड़ से 3 कि०मी० की दूरी पर बठैया पिकेट स्थापित है जिससे उग्रवादियों के गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि०स०–71 / 2012 5328 राँची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

(2)

श्री कमलेश उराँव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– का0–03 का प्रश्नोत्तर

क्र0	*प्रश्न*	*उत्तर*
1	*2*	*3*
1.	क्या यह बात सही है कि गुमला जिला में पदस्थापित कार्यपालक दण्डाधिकारी को विभिन्न पदों का प्रभार दिया गया जैसे–निबंधन पदाधिकारी, जिला समाजिक सुरक्षा के प्रभारी, जिला सामान्य शाखा प्रभारी, जिला शस्त्र प्रभारी आदि,	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि इतने महत्वपूर्ण पदों का प्रभारी होने के कारण संबंधित सभी विभागों में आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है,	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार रिक्त पदों पर पदाधिकारियों की प्रति नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो?	गुमला जिला में कार्यपालक दण्डाधिकारी के 05 पद है, जिसके विरूद्ध 02 पदाधिकारी कार्यरत है एवं जिला स्तर के पद पर पदस्थापित अन्य पदाधिकारियों से कार्य लिया जा रहा है। अतः आमजन को कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2/विधानसभा–09–14/2012 का0. 13194 / राँची, दिनांक 01 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 3242 वि.स. दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12/12
(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

G:\LETTER\Vidhan Sabha\VIDHAN SABHA Question- 2012.doc

(4)

श्री कमल किशोर भगत, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 02 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि लोहरद्गा जिलान्तर्गत पेशरार प्रखण्ड सेनहा प्रखण्ड एवं कुडू प्रखण्ड आपरूप प्राकृतिक सौन्दर्य से आच्छादित है जहाँ पर्यटन विकास की असीम संभावनायें है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त प्रखण्डाधीन लादा–पानी जल प्रपात, धरधरिया जल प्रपात, दामोदर नदी का उद्गमस्थली चुल्हा पानी, महादेव मंडा एवं तान पहाड़ स्थित प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटन केन्दों के रूप में विकसित करने से रोजगार के अवसर पैदा होगें ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थलों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 12,53,700.00 रूपये महादेव मंडा के पर्यटकीय विकास हेतु उपायुक्त को राशि आवंटित किया गया है। अन्य स्थलों हेतु उपायुक्त से भूमि की उपलब्धता, पहुँच पथ बगैरह की जानकारी माँगी गई है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ही तदनुसार निर्णय लेना संभव हो सकेगा। अतः तत्काल यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/87/2012 1722 /राँची, दिनांक 30/11/12 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 3209/वि०स०, दिनांक 23/11/2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.11.12
सरकार के उप सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री योगेन्द्र साव , स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – ट्र 06 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत प्रखण्ड पतरातू के पतरातू डैम में प्रकृतिक सौन्दर्यता का दृश्य यात्रीगण दूर–दूर से देखने आते है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पतरातू डैम को सुन्दरीकरण कर पर्यटन स्थल बनाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	वस्तुस्थिति यह है कि उपायुक्त, रामगढ़ के प्रतिवेदनानुसार पतरातू डैम झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड के नियंत्रणाधीन है तथा डैम में फ्री मूभमेंट वर्जित है। अतः यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/91/2012....1744..../राँची, दिनांक....29/11/12..../

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 3283/वि०स०, दिनांक 26/11/2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.11.12

सरकार के उप सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री शंशाक शेखर भोक्ता, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 05 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि देवघर जिले में अजय बराज परियोजना कार्यरत है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल पर 10 वर्ग किलोमीटर में पानी का जमाव है तथा स्थल एक स्थायी झील का रूप ले चुका है ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि वहाँ हजारों पर्यटक घुमने तथा पिकनिक मनाने आते है ;	3.	आंशिक स्वीकारात्मक।
4.	क्या यह बात सही है कि वहाँ विभाग द्वारा पर्यटकों की सुविधा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ;	4.	स्वीकारात्मक।
5.	यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अजय बराज परियोजना सिकटिया, सारठ में टूरिस्ट कॉम्पलेक्स तथा नौकायान की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	5.	वस्तुस्थिति यह है कि उक्त जलाशय एवं स्थल जल संसाधन विभाग के क्षेत्राधीन है। अतः यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/90/2012 1715 /राँची, दिनांक 29/11/12 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 3235/वि०स०, दिनांक 26/11/2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.11.12

सरकार के उप सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(8)

श्री जगरनाथ महतो, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–03 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत निमियॉ घाट थाना में दिनांक–21.05.2002 कांड संख्या–47/02 दर्ज हुई थी ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त कांड का केश डायरी एवं चार्जशीट अनुशंधानकर्त्ता के द्वारा न्यायालय को आज तक समर्पित नही की गयी है जिसके कारण मृतक के आश्रित को बीमा मुआवजा नही मिल पा रहा है ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पदाधिकारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो ?	संबंधित पदाधिकारी सम्प्रति विशेष शाखा में पदस्थापित है। उनसे स्पष्टीकरण पूछ कर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–5/वि०स०(10)–41/2012 5590/ राँची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12/12

सरकार के उप सचिव।

(9)

श्री सौरभ नारायण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– का0–08 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि श्री दिलीप कुमार टोप्पो उप सचिव, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी है तथा (8) आठ वर्षों से निबंधन विभाग में पदस्थापित है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों की सेवा तीन वर्षों तक ही एक विभाग में रखने का प्रावधान है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार श्री टोप्पो का निबंधन विभाग से स्थानांतरण का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यो?	मामला विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2/विधानसभा–09–15/2012 का॰. 13193/ राँची, दिनांक 01 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 3303 वि.स. दिनांक 27.11.2012 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12/12

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(10)

माननीय स०वि०स० श्री निजामउद्दीन अंसारी द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–04 का उत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प्रशासनिक ईकाईयों के सृजन एवं पुर्नगठन पर विचार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति दिनांक–23.08.2010 की बैठक में गिरिडीह जिला अन्तर्गत राजधनवार को अनमुंडल बनाने का प्रस्ताव की अनुशंसा की गई है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि भारत की जनगणना 2011 के आलोक में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या–1664 दिनांक–23.06.2010 अनुमंडल आदि सीमाओं में 31.03.2011 कोई परिवर्तन नहीं किये जाने का आदेश है; समिति की उक्त अनुशंसा 01.04.2011 से प्रभावी मानी गई है, बावजूद इसके 01.04.2011 से अबतक राजधनवार को अनुमंडल नहीं बनाया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। नये अनुमंडल के सृजन के फलस्वरूप सृजित होने वाले सभी पदों पर पड़ने वाले वित्तीय भार एवं आधारभूत संरचना में सन्निहित व्यय के आकलन की सूचना भवन निर्माण विभाग से प्राप्त की जा रही है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं; तो क्या सरकार राजधनवार को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वांछित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् सरकार के द्वारा यथोचित निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–7ए / झा0वि0स0–15–47 / 2012 का०– 13186 / रांची, दिनांक– 1·12·2012–

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3241, दिनांक 26.11.2012 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.12.12

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(11)

श्री अरूण मंडल, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0--ग--01 का उत्तर प्रविवेदन :--

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के सभी थानों में ड्राईवर की कमी से पुलिस गश्ती बाधित रहती है ;	साहेबगंज जिला में चालक पुलिस के दस स्वीकृत बल के विरूद्ध दस चालक पुलिस एवं चालक हवलदार के चार स्वीकृत बल के विरूद्ध दो पद स्थापित है। आवश्यकतानुसार गृह रक्षक चालक से भी कार्य लिया जाता है।
2	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिला में पुलिस प्रशासन युनिट के आधार पर पुलिस पदाधिकारी, आरक्षी एवं ड्राईवर उपलबध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	यथा उपरोक्त।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–10 / वि०स०–72 / 2012.....5331/ रॉंची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/12/12
सरकार के उप सचिव।

पत्रांक 1/नि. वि.12/12.....

(12)

झारखण्ड सरकार
निबंधन विभाग।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या नि.–03 का उत्तर सामग्री

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री संजय कुमार सिंह, यादव **स. वि. स.**	**श्री वैद्यनाथ राम,** **प्रभारी मंत्री, निबंधन विभाग**
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिला के हुसैनाबाद को वर्ष 1992 में अनुमंडल बनाया गया है, परन्तु आज तक अनुमंडल के निबंधन कार्यालय में स्थायी निबंधक का पदस्थापन नहीं किया है ?	अस्वीकारात्मक। पलामू जिला के हुसैनाबाद अनुमण्डल अन्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय हुसैनाबाद में निबंधन सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जाता रहा है। श्रीमती श्वेता कुमारी, अवर निबंधक, दिनांक 20.09.01 से 06.02.02 तक, श्री शहाब सिद्दिकी, दिनांक 31.10.02 से 05.04.06 एवं श्री वैभव मणि त्रिपाठी, दिनांक 30.04.11 से 03.01.12 तक विभागीय पदाधिकारी के रूप में पदस्थापित थे।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हुसैनाबाद अनुमंडल स्थित निबंधन कार्यालय में स्थायी निबंधन के अभाव में समयानुसार कार्य का सम्पादन नहीं होता है ?	अस्वीकारात्मक। भारतीय निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा–12 के प्रावधान के तहत उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, किसी कार्यपालक पदाधिकारी/दण्डाधिकारी अथवा अनुमण्डल पदाधिकारी को अवर निबंधक के रूप में पदस्थापित कर सकते है। उपायुक्त–सह–जिला निबंधक, के कार्यालय आदेश संख्या–449 दिनांक 04.09.12 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी हुसैनाबाद को अवर निबंधक, हुसैनाबाद के रूप में कार्य सम्पादन करने का आदेश दिया गया है। वर्त्तमान में वे प्रभार में है तथा उनके द्वारा निबंधन संबंधी कार्यो का संपादन सुचारू रूप से किया जा रहा है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद अनुमंडल मुख्यालय स्थित निबंधन कार्यालय में स्थायी निबंधक का पदस्थापन करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में विभाग में निबंधन सेवा के पदाधिकारियों की संख्या पर्याप्त न रहने के कारण हुसैनाबाद अवर निबंधन कार्यालय में अवर निबंधक का पदस्थापन नहीं किया जा सका है। पदाधिकारियों की उपलब्धता होने पर वहाँ निबंधन सेवा के पदाधिकारी को अवर निबंधक के रूप में पदस्थापित किया जाएगा।

ज्ञापांक :– 12/13 राँची, दिनांकः 05/12/12

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 3285 दिनांक 26.11.12 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

5/12/12

सरकार के उप सचिव,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

Assembly Que

Sonu

(13)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दि0 03.12.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं0–ग–08 का प्रश्नोत्तर –

	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अभियोजन सेवा के 102 सहायक लोक अभियोजक को सितम्बर, 2012 में अपर लोक अभियोजक के नियमित रिक्त–पदो पर प्रोन्नति दी गई है ?	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। अभियोजन सेवा के 101 सहायक लोक अभियोजकों को सितम्बर, 2012 में अपर लोक अ भियोजक के नियमित रिक्त–पदो पर प्रोन्नति दी गई है।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड– (1) में वर्णित नियमित पद हेतु, झारखण्ड अभियोजक नियमावली 2011 अन्तर्गत विहित प्रशिक्षण परीक्षा एवं विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य है ?	खण्ड–1 के अन्तर्गत दी गई प्रोन्नति (सहायक लोक अभियोजक से अपर लोक अभियोजक के पद पर) झारखण्ड अभियोजन सेवा नियमावली, 2011 के नियम 18 (क), (ख) के अधीन दी गई है। जिन 101 सहायक लोक अभियोजकों को अपर लोक अभियोजक में प्रोन्नति दी गई है वे प्रावधान के अन्तर्गत प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत सेवा सम्पुष्ट हैं, तदनुसार ही उन्हें प्रोन्नति दी गई है।
3	क्या यह बात सही है कि है खण्ड– (2) में वर्णित परीक्षा में बिना उर्त्तीण– 20 अभि यार्थियों को प्रोन्नति दे दी गई है ?	सभी सेवा सम्पुष्ट पदाधिकारी ही प्रोन्नत हुए है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उतर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार पूरे मामले को जाँच कराकर दोषी पदाधिकारीयों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त पृष्ठभूमि में जाँच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–3/वि0स0–06/2012–5595/राँची, दिनांक 01/12/2012 ई0.

प्रतिलिपि– 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा के ज्ञापांक– 665, दि0 01.03.2011 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

पत्रांक 1/नि॰ वि॰11/12/1212

(14)

झारखण्ड सरकार
निबंधन विभाग।

झारखण्ड विधान सभा द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या नि॰–02 का उत्तर सामग्री

क्र॰	प्रश्न श्री जनार्दन पासवान, स॰ वि॰ स॰।	उत्तर श्री वैद्यनाथ राम, प्रभारी मंत्री, निबंधन विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिला बाइस कोर्ट की स्थानांतरण नये भवन में होने के कारण केवल निबंधन विभाग (रजिस्ट्री) पुराने स्थल पर रहने से आम जनता को काफी कठिनाई हो रही है ?	आम जनता को हो रहीं कठिनाई की कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि नये भवन से पुराने स्थल की दूरी लगभग दो किलोमीटर है ?	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार न्यायालय स्थानांतरण के बाद निबंधन कार्यालय को भी नये भवन में स्थानांतरित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	जिला अवर निबंधन कार्यालय, चतरा वर्त्तमान में जहाँ अवस्थित है, वह भवन निबंधन विभाग की जमीन पर बना अपना भवन है तथा अनुमण्डल परिसर में है, जो कोषागार एवं बैंक के समीप है। नए भवन में अभिलेखागार हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त जगह उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त परिस्थितिवश तत्काल जिला निबंधन कार्यालय, चतरा का स्थानांतरण नए भवन में करने का विचार विभाग के समक्ष नहीं है।

ज्ञापांक :– 1212 राँची, दिनांकः 01/12/12

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके पत्रांक 3286 दिनांक 26.11.12 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/12/2012

सरकार के उप सचिव,
निबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

Assembly Que

Sonu

(15)

श्री दीपक बिरूवा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या– का0–05 का प्रश्नोत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	2	3
1.	क्या यह बात सही है कि श्री प्रदीप प्रसाद तत्कालीन अंचलाधिकारी, सदर चाईबासा एवं तत्कालीन अंचलाधिकारी, लापूंग, राँची को आदिवासी जमीन को गैर आदिवासी के नाम पर नामांतरण में दोषी पाए गए है ;	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार के विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक– 3/आरोप–चाईबासा– 15/10–2948/रा0, दिनांक 02.09.2011 को श्री प्रसाद पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को प्रेषित की गई है ;	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड से श्री प्रदीप प्रसाद, तत्कालीन अंचलाधिकारी, सदर चाईबासा के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में आरोप प्राप्त है। इनके विरूद्ध अनुसूचित जनजाति की जमीन को बिना पूर्व अनुमति से गैर आदिवासीयों की भूमि के साथ मिलाकर नामांतरित करने का आरोप लगाया गया है। इन आरोपों के संबंध में श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण मांगा गया है। श्री प्रसाद के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से मंतव्य की मांग की गई है जो अप्राप्त है।
3.	क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद को उक्त मामले में दोषी होते हुए भी अब तक किसी प्रकार का कार्रवाई कार्मिक विभाग द्वारा नहीं किया गया है ;	उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के प्रतिवेदन के उपरान्त यथोचित कार्रवाई की जायेगी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री प्रसाद को अविलम्ब निलंबित कर कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	तदैव

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक– 2ए/आरोप–01–45/2010 (खण्ड) का॰ 13195/ राँची, दिनांक 1 दिसम्बर, 2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञाप सं0– 3236 वि.स. दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.12.12

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(16)

श्री शशांक शेखर भोक्ता, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–04 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि संताल परगना देवघर जिला सहित, आंशिक रूप से उग्रवाद प्रभावित है, जहॉ उग्रवादी गतिविधियों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है ;	आंशिक स्वीकारात्मक
2	क्या यह बात सही है कि देवघर की सीमा गिरिडीह, जमुई बांका से मिलती है तथा उक्त जिले उग्रवाद से ग्रस्त है ;	स्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि जमुई जिले से प० बंगाल, धनबाद तथा गिरिडीह जाने का कोरिडोर देवघर के देवीपुर होकर गुजरता है ;	स्वीकारात्मक
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार संताल परगना क्षेत्र में उग्रवाद सीमित करने के लिए देवघर के देवीपुर में इंडिया रिजर्व बटालियन (आई०आर०बी०) या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी०आर०पी०एफ०) की कम्पनी की स्थापना `ब करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नही तो क्यो ?	India R.B भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है। सम्प्रति देवीपुर, देवघर में I.R.B स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12 / वि०स०(26)–22 / 2012...5327/ राँची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(17)

माननीय स०वि०स० श्री चन्द्रशेखर दूबे द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–07 का उत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि पलामूजिलान्तर्गत विश्रामपुर प्रखंड मुख्यालय को अनुमंडल बनाने हेतु प्रस्ताव विगत तीन वर्षों से लंबित है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। प्रशासनिक इकाईयों के सृजन एवं पुनर्गठन पर विचार करने हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा दिनांक–23.08.2010 को आहूत बैठक में पलामू जिलान्तर्गत विश्रामपुर प्रखण्ड को अनुमंडल का दर्जा दिये जाने के मामले को विचारोपरान्त स्थगित रखा गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि विश्रामपुर प्रखंड अनुमंडल बनाने की सारी शर्त्तों को पूरा करती है;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार विश्रामपुर को अनुमंडल का दर्जा देने पर विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–7ए / झा०वि०स०–15–48 / 2012 का०–13187 / राँची, दिनांक– 1.12.2012

प्रतिलिपि–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–3243, दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.12.12

(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव।

(18)

श्री निजामुद्दीन अंसारी, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–विधि–02 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि जिला न्यायालयों में सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के बीच से अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान है ;	सी०आर०पी०सी० की धारा 24 (4) के तहत जिला न्यायालयों में सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के बीच से अपर लोक अभियोजक नियुक्त करने का प्रावधान है।
2	क्या यह बात सही है कि जिला न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ताओं के बीच से नियुक्त अपर लोक अभियोजकों को एक गवाही कराने पर 30 रूपये दैनिक भत्ता देने का प्रावधान है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपर लोक अभियोजक नियुक्ति की प्रक्रिया के बरकरार रखने एवं अपर लोक अभियोजकों को 30 रूपये दैनिक भत्ता से बढ़ाकर 100 रूपये करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में सी०आर०पी०सी० की धारा 24 (6) के आलोक में अभियोजन सेवा नियमावली 2011 का गठन किया गया है जिसके तहत अपर लोक अभियोजक के पद पर सहायक लोक अभियोजक से प्रोन्नति दिए जाने का प्रावधान है। सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के बीच से अपर लोक अभियोजक/विशेष लोक अभियोजक में नियुक्ति सी०आर०पी०सी० की धारा 24 (4) तथा 24 (8) के प्रावधान के तहत की जा सकती है। अधिवक्ताओं के बीच से नियुक्त अपर लोक अभियोजकों को दैनिक शुलक 100 रूपये दिया जाता है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०–06/2012.....5588/ राँची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

श्री निर्भय कुमार शाहबादी, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–09 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि वर्ष–2008 में अभियोजन निदेशालय का गठन कर अभियोजन सेवा के सहायक लोक–अभियोजक श्री सुधाकर शर्मा को सहायक निदेशक के पद पर पदस्थापित की गई है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है। झारखण्ड अभियोजन निदेशालय का गठन अधिसूचना सं०–1492, दिनांक–09.04.2008 द्वारा किया गया है। पूर्ववर्त्ती बिहार राज्य के एकीकृत अभियोजन तंत्र से राज्य बँटवारा के पश्चात् झारखण्ड राज्य को एक सहायक निदेशक का पद निदेशालय अधिसूचित होने के पूर्व से प्राप्त है। श्री शर्मा दिनांक–08.02.2008 से उक्त पद पर पदस्थापित/कार्यरत है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त निदेशालय में सहायक निदेशक का पद स्वीकृत नही होने के बावजुद सरकार उक्त निदेशक को वित्त विभाग, झारखण्ड के नियमों की अनदेखी कर वेतन भुगतान कर रही है, जो वित्तिय अनियमितता प्रतीत होती है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूरे मामले की गम्भीरतापूर्वक जांच कराकर उक्त निदेशक को अबतक की गई नियम विरूद्ध वेतन भुगतान की राशि की वसूली लापरवाह दोषी पदाधिकारियों से करते हुए उक्त पदाधिकारी पर कानूनी कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, यदि नही तो क्यो ?	कंडिका 1 एवं 2 के उत्तर के अलोक में जांच आवश्यक नही है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–03/वि०स०–05/2012 5587

रॉंची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

(20)

श्रीमती सीता सोरेन , स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 08 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के जामा प्रखण्ड अन्तर्गत बदिया पंचायत के चुटोनाथ, पलासी पंचायत के तातलोय (गरम जलकुण्ड) तथा वाड़ा पंचायत के सिरसानाथ मंदिर एक प्राचीन धर्मस्थल तथा ऐतिहासिक धरोहर है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त धार्मिक स्थलों पर काफी संख्या में श्राद्धालू एवं पर्यटक आते हैं ;	2.	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त स्थलों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3.	प्रश्नाधीन स्थल चुटोनाथ मंदिर के पर्यटकीय विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में कुल 30,39,100.00 रूपये आवंटित किया गया था। जिसमें से कार्य एजेंसी JTDC द्वारा कुल 24,33,304.00 रूपये का कार्य कराया जा चुका है। ततलोई गरम झरना के पर्यटकीय विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 10.00 (दस) लाख रूपये उपायुक्त को आवंटित किया गया है। अतः तत्काल यह योजना पुनः सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 93 / 2012 1713 / राँची, दिनांक 29/11/12 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 3238 / वि०स०, दिनांक 26 / 11 / 2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/12
29.11.12

सरकार के उप सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

माननीय स0वि0स0 श्री अरूप चटर्जी द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का–02 का उत्तर। (21)

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है, कि राज्य में मेलर आदिम जनजाति संघर्ष मोर्चा द्वारा भुईयां, घटवार, खैतौरी तथा पहाड़िया को पुनः आदिम जनजाति की दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर आन्दोलन किया जाता रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि विभागीय रिपोर्ट दिनांक 06.01.2005 में उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने हेतु भारत सरकार को इस पर पुनर्विचार करने को कहा गया था परन्तु आज 12.08.2012 तक भी न तो भारत सरकार और न ही राज्य सरकार इस विषय को गंभीरता से ले पायी है;	भुइया जाति झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति की सूची के क्रमांक–4 पर पूर्व से दर्ज है। विभागीय पत्रांक– 6336 दिनांक 08.12.2004 द्वारा अन्य जातियों के साथ–साथ खेतौरी और घटवार जाति को झारखण्ड की अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अनुशंसा की गयी है। माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया तथा कुमारभाग पहाड़िया झारखण्ड राज्य की अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्ज है। पहाड़िया जाति के सम्बन्ध में झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची से प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार अविलम्ब उक्त जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने हेतु समुचित कार्रवाई का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों?	भुईयां जाति के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। खेतौरी और घटवार जाति के सम्बन्ध में विभागीय पत्रांक–6336 दिनांक 08.12.2004 द्वारा प्रेषित अनुशंसा के क्रम में भारत सरकार को वांछित इथनोग्राफिक विवरण उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है। पहाड़िया जाति के सम्बन्ध में झारखण्ड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान, रांची से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर यथा अपेक्षित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–7 / झा0वि0स0–07–51 / 2012 का॰– **13191** / रांची, दिनांक **01.12.2012**

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा को उनके ज्ञापांक–3206, दिनांक 23.11.2012 के आलोक में 200 (दो सौ) प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

(प्रमोद कुमार तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

letter- Section-7

(92)

श्री चन्द्रशेखर दुबे, स० वि० स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सं०–ग–12 का प्रश्नोत्तर।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत पांडू थाना का अपना भवन नहीं है और सारा कार्य अस्पताल के भवन से किया जा रहा है ?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि भवन के अभाव के कारण विधि व्यवस्था से संबंधी कार्यो के निस्पादित करने में यहॉ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों को कार्य करने में काफी कठिनाई हो रही है तथा विधि व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।	स्थान की कमी के कारण कार्य करने में कठिनाई होती है। विधि व्यवस्था पूर्णरूपेण नियंत्रण में है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार चालू वित्तीय वर्ष पांडू थाना के लिए अपना भवन बनाने पर विचार रखती है, यदि नही तो क्यों ?	गृह विभाग, राँची के स्वीकृत्यादेश सं0– 187, दिनांक– 13.07.2011 द्वारा पांडु थाना भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति दे दी गई है। भूमि अनुपलब्धता के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है। भूमि उपलब्ध करने हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है। भूमि उपलब्ध होते ही भवन निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा।

झारखण्ड सरकार
गृह विभाग

ज्ञापांक – 2/वि०स०/12/2012 5592 **राँची, दिनांक** 01.12.2012

प्रतिलिपि – अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके 3244 दिनांक 26.11.2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

(24)

श्री अरूण मंडल, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–02 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला के दियारा क्षेत्र में स्पीड बोट (स्पीड बोट) से गश्ती का कोई इंतजाम प्रशासन द्वारा नही कराये जाने के कारण अपराधी घटनाओं का अंजाम देखकर भाग निकलने में सफल होते है, यदि हॉ तो क्या सरकार साहेबगंज जिलान्तर्गत साहेबगंज दियारा, राजमहल दियारा एवं उधवा दियारा में दो दो स्पीड बोड (स्पीड बोड) उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नही क्यों ;	साहेबगंज जिला के दियारा क्षेत्र में अपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए गश्ती की व्यवस्था जिला स्तर पर किया जाता है। उक्त दियारा क्षेत्र में स्पीड बोट उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही हैं

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–5 / वि०स०(10)–42 / 2012 5591 / राँची, दिनांक–01 / 12 / 2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

25

श्री कमल किशोर भगत, माननीय स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या का०–01 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि क्षेत्रीय भाषओं के विकास में राज्य का विकास निहित है।	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि संथाली को छोड़कर अन्य कोई भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है।	अस्वीकारात्मक। झारखंड राज्य में राजभाषा का दर्जा केवल देवनागरी लिपि में लिखित 'हिन्दी' भाषा को प्राप्त है। संथाली भाषा के साथ–साथ बंगला, मुण्डारी, हो, खड़िया, कुड़ुख (उराँव), कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया तथा उड़िया को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है।
3	क्या यह बात सही है कि पूर्व में संथाली के साथ कुड़ुख, मुण्डारी, हो, नागपुरी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा देने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की गई थी?	अस्वीकारात्मक। पूर्व में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक 129, दिनांक 18.09.2003 द्वारा संथाली, मुण्डारी, हो एवं कुड़ुख (उराँव) भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये अनुशंसा की गई थी।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्य सरकार कुड़ुख, मुण्डारी, हो, नागपुरी भाषा के राजभाषा का दर्जा देकर संविधान की आठवीं अनुसूची में डालने का विचार रखती है, यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य सरकार कुड़ुख, मुण्डारी, हो एवं नागपुरी भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दे चुकी है तथा संथाली, मुण्डारी, हो एवं कुड़ुख (उराँव) भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये केन्द्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेज चुकी है।

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक 8/रा० 58/2012 का० 272 /राँची, दिनांक 1 दिसम्बर, 2012

प्रति, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप सं. 3205, दिनांक 23.11.2012 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/12/12

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के संयुक्त सचिव

श्री ग्लेन जोसेफ गालस्टन, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–11 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रॉची जिला के खलारी प्रखण्ड अंतर्गत मैक्लुस्कीगंज थाना के बाधमरी में पुलिस पिकेट की स्थापना प्रशांसनिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी है, क्या यह गृह विभाग के अंतर्गत आता है ;	बाधमरी में पुलिस पिकेट स्थापित है।
2	क्या यह बात सही है कि बाधमरी, चतरा, लातेहार तथा रॉची जिला के सीमा पर अवस्थित है, पुलिस पिकेट बनाने से उग्रवादी घटनाओं में कमी आएगी तथा क्षेत्र के लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह सकेगें ;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाधमरी में पुलिस पिकेट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, यदि नही तो क्यो ?	यथाउपरोक्त।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक– 10/क.ब.-70/2012 5326 /   रॉंची, दिनांक– 01/12/2012 ई0।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

सरकार के उप सचिव।

(27)

श्री विनोद कुमार सिंह, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 03 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पर्वत (पार्श्वनाथ मंदिर) राष्ट्रीय स्तर की पर्यटक स्थल है, जहाँ प्रतिवर्ष पाँच लाख से ज्यादा पर्यटक/यात्री आते है ;	1.	स्वीकारात्मक।
2.	यदि उपरोक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पर्यटकों/यात्रियों की सुविधा हेतु पारसनाथ (मधुवन) में पर्वत शिखर तक जाने हेतु रोप–वे का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	2.	वस्तुस्थिति यह है कि भू–तल से उपर मंदिर तक जाने के लिये सीढ़ी बना हुआ है तथा श्रद्धालुओं को डोली से भी ले जाया जाता है। उप विकास आयुक्त, गिरिडीह के प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नाधीन स्थल वन–भूमि है। साथ ही डोली ढोने वाले मजदूर संगठन द्वारा आपत्ति उठाने की संभावना भी व्यक्त की गई है। अतः यह योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/88/2012 1708 /राँची, दिनांक 29-11-12 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 3210/वि०स०, दिनांक 23/11/2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.11.12

सरकार के उप सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्रीमती गीता कोड़ा, स०वि०स०, द्वारा दिनांक – 03.12.2012 को पूछा जानेवाला तारांकित प्रश्न संख्या – टन 04 का प्रश्नोत्तर :

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री पर्यटन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–		मा० मंत्री, पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।
1.	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत बैतरणी नदी किनारे रामतीर्थ मेला क्षेत्र के सुन्दरीकरण की योजना दो भागों में सन 2007 में सरकार द्वारा स्वीकृत की गई थी ;	1. 2. एवं 3.	वस्तुस्थिति यह है कि प्राप्त प्राक्कलन पर एक भाग पर स्वीकृति दी गई थी और वित्तीय वर्ष 2004–05 में कुल 20.00 (बीस) लाख रूपये उपायुक्त को उपलब्ध कराया गया था। उप विकास आयुक्त, प० सिंहभूम के प्रतिवेदन के अनुसार उक्त राशि से कार्य पूर्ण हो गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना की लागत एक करोड़ रूपये की थी, जिसमें प्रथम भाग की लागत बीस लाख रूपये का कार्य किया गया है ;		
3.	क्या यह बात सही है कि प्रथम भाग का कार्य बीस लाख रूपयों का कराकर शेष भाग का आवंटन उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण कार्य अनुपयोगी एवं लंबित रह गया है ;		
4.	यदि उपर्युक्त खंडों (1), (2) एवं (3) के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार शेष भाग का आवंटन उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	4.	पुनः वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 10.00 (दस) लाख रूपये उपायुक्त को आवंटित किया गया है। अतः यह योजना पुनः सरकार के विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/89/2012 1712 /राँची, दिनांक 29/11/12 /

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक 3234/वि०स०, दिनांक 26/11/2012 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/12

सरकार के उप सचिव
पर्यटन विभाग, झारखण्ड, राँची।

(29)

श्री फूलचन्द मण्डल, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–05 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–26.06.2012 को धनबाद जिले के तोपचाँची थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक जवान शहीद तथा दर्जनभर पुलिसकर्मी घायल हो गए ;	स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धनबाद जिला को आई०ए०पी० के तहत राज्य मद से केन्द्र सरकार के तर्ज पर 55 करोड़ रूपये का अनुदान देना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, यदि नही तो क्यो ?	आई०ए०पी० केन्द्र सरकार की योजना है। राज्य मद से केन्द्र सरकार की तर्ज पर आई०ए०पी० योजना कार्यान्वित करने का कोई नीतिगत निर्णय नही है। धनबाद जिला में B.R.G.F सहित अन्य विकास योजनाएँ लागू है।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–12 / वि०स०प्र०(26)–21 / 2012 5329 / राँची, दिनांक–01 /12/ 2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1.12.12

सरकार के उप सचिव।

श्री अनन्त प्रताप देव, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–06 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला अंतर्गत नगर उँटारी मुख्यालय में निर्माणाधीन कारा का निर्माण कार्य वर्ष–2010–11 में पूरा किया जाना था, जो अभी तक अधूरा है तथा जनवरी, 2012 से निर्माण कार्य बन्द है ;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त कारा का निर्माण कार्य पूर्ण कराना चाहती है, यदि हॉ तो कब तक, यदि नही तो क्यो ?	सरकार उप कारा निर्माण का कार्य वर्ष–2013–14 में पूरा करायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक-4/वि०स०–20/2012-5330/ रॉंची, दिनांक– 01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

(31)

श्री योगेन्द्र साव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या–01 का उत्तर

प्रश्न	उत्तर
श्री योगेन्द्र साव, माननीय स0वि0स0	**श्री हेमन्त सोरेन,** माननीय उप मुख्य (वाणिज्य–कर) मंत्री, झारखण्ड सरकार।
1. क्या यह बात सही है कि दिनांक 01.04.2012 से बिक्री कर 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे जनता पर अत्यधिक बोझ बढ़ने के साथ–साथ संवेदको का भी आर्थिक नुकसान हो रहा है:	उत्तर अंशतः स्वीकारात्मक है। वाणिज्य–कर विभाग द्वारा बजट भाषण–2012 के आलोक में अतिरिक्त राजस्व संग्रहण वृद्धि हेतु अधिसूचना संख्या– एस0 ओ0 24 दिनांक 03.10.2012 द्वारा कार्य संवेदकों हेतु श्रोत पर कटौती की दर दिनांक 01.04.2012 के प्रभाव से **2 प्रतिशत** से बढ़ाकर **4 प्रतिशत** किया गया है जिससे जनता पर कोई बोझ बढ़ने की संभावना नही है।
2. क्या यह बात सही है मार्च, 2012 के पहले निविदा डालने वाले संवेदकों को दो प्रतिशत बिक्री कर देने का प्रावधान था :	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3. यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार निविदा शर्त्तों के अनुसार दिनांक 01.04.2012 के पहले के निविदा कार्यों में 2 प्रतिशत बिक्री कर देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	दिनांक 31.03.2012 तक कार्य संवेदकों से श्रोत पर कटौती की दर **2 प्रतिशत** है। अतः उक्त तिथि तक निविदा कार्यों में कटौती की दर **दो प्रतिशत** ही प्रभावी होगी।

झारखण्ड सरकार
वाणिज्य–कर विभाग।

ज्ञापांक– 3674 दिनांक– 1/12/12

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके पत्र संख्या–3239 दिनांक 26.11.2012 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/12/12

वाणिज्य–कर संयुक्त आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।

(33)

श्री रामदास सोरेन, माननीय स.वि.स. द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या – का० 06 का उत्तर

क्रम सं.	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में संथाली भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है?	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य में सचिवालय स्तर पर संथाली भाषा का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवादक नहीं होने के कारण उक्त भाषा के लोग अपनी समस्या को सरकार स्तर तक नहीं रख पा रही है।	अस्वीकारात्मक। सचिवालय स्तर पर भाषा के आधार पर किसी आवेदन पर विचार नहीं होने का मामला प्रकाश में नहीं आया है।
3	यदि उपरोक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में बंगाल राज्य के तर्ज पर राज्य में सचिवालय स्तर पर संथाली भाषा का हिन्दी/अंग्रेजी अनुवादक नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो, कबतक, नहीं तो क्यों?	बंगाल राज्य सरकार से संथाली भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में लागू करने संबंधी पद्धति की जानकारी प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

झारखंड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

ज्ञापांक 8/रा० 59/2012 का० 273/राँची, दिनांक 01 दिसम्बर, 2012

प्रति, अवर सचिव, झारखंड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं. 3237 वि.स., दिनांक–26.11.2012 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सरोज श्रीवास्तव)
सरकार के संयुक्त सचिव

34

श्री ढुलु महतो, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 03.12.2012 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न सं0–ग–10 का उत्तर प्रविवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि 15.10.2011 को धनबाद एस०पी० द्वारा तेतुलिया में खुद छापेमारी कर अवैध कोयला उत्खनन् का उद्‌भेदन किया गया था, जिसमें दर्जनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई तथा कई पुलिस कर्मियों पर उनकी संलिप्तता के कारण उनपर कार्रवाई की गयी ;	उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि छोटे पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गई परन्तु अ०पु०पदा० बाघमारा को छोड़ दिया गया ;	सभी संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अवैध उत्खनन् को संरक्षण देने वाले अनु०पु०पदा० बाघमारा संजीव कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, यदि नही तो क्यो ?	यथाउपरोक्त।

झारखण्ड सरकार,
गृह विभाग।

ज्ञापांक–09 / वि०स०–106 / 2012 5325/ रॉंची, दिनांक–01/12/2012 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।